सत्यमेव जयते

न्यायालय

सहायक कलक्टर/उपखण्ड अधिकारी

गुढामालानी

(पीठासीन अधिकारी –केशव कुमार मीना आर.ए.एस.)

वाद संख्याः– 2022 / 427 दर्ज तिथिः– 26.12.2022

1. तरूण कुमार पुत्र स्व0 पन्नाराम (नाबालिक जरिये कुदरती वलिया माता वादिनी संख्या 02)
2. कानूदेवी पत्नी स्व0 पन्नाराम
   जाति जाट निवासीस जाणियो की ढाणी, निम्बलकोट तहसील नोखड़ा

.....वादीगण

बनाम

1. भैराराम पुत्र लच्छाराम
2. मोहनराम पुत्र भैराराम
   जाति जाट निवासी जाणियो की ढाणी, निम्बलकोट तहसील नोखड़ा
3. पुरोदेवी पुत्री भैराराम पत्नी लुम्भाराम जाति जाट निवासी हाल कगाउ तहसील बाड़मेर
4. किरताराम पुत्र देवाराम
5. खूमाराम पुत्र भूराराम
6. गुमनाराम पुत्र रतनाराम
7. चूनाराम पुत्र जेहाराम
8. चूनी पत्नी भारूराम
9. चिमनी पत्नी रतनाराम
10. चोलाराम पुत्र भूराराम
11. जगमालराम पुत्र देवाराम
12. जोगाराम पुत्र धर्माराम
13. दुर्गाराम पुत्र देवाराम
14. पुनमाराम पुत्र भूराराम
15. भैराराम पुत्र धर्माराम
16. मगलाराम पुत्र भूराराम
17. रूपाराम पुत्र भूराराम
18. रामाराम पुत्र भारूराम
19. सिरूदेवी पत्नी धर्माराम
20. हुकमाराम पुत्र देवाराम
21. हरदान पुत्र भूराराम
    जाति जाट निवासी जाणियो की ढाणी, निम्बलकोट तहसील नोखड़ा

.....असल प्रतिवादीगण

22. शाखा प्रबन्धक राजस्था मरूधरा ग्रामीण बैक शाखा होडू तहसील नोखड़ा

Signature Not Verified

Digitally signed by Keshav Kumar Meena
Date: 2026.04.06 19:10:26 IST
Reason: SelfAttested

23. तहसीलदार नोखड़ा

.....तकमीली प्रतिवादीगण

24. तीजो पत्नी भैराराम जाति जाट निवासी जाणियो की ढाणी निम्बलकोट तहसील नोखड़ा

..... असल प्रतिवादीगण

उपस्थित अधिवक्ता
वादीः— श्री रामजीवन विश्नोई
प्रतिवादी 1, 4, 11, 12ः—श्री बींजाराम गोदारा
श्री भंवरलाल सारण
शेष प्रतिवादीगणः—एकतरफा

राजस्व वाद अन्तर्गत धारा—88, 40, 188
राजस्थान काश्तकारी अधि0—1955

—:निर्णयः—

1. आज यह पत्रावली वाद पत्र बाबत् इस्तकराहक्क अन्तर्गत धारा—88, 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम—1955 का वास्ते निर्णय हेतु पेश हुई। वाद पत्र का सूक्ष्म वृतान्त इस प्रकार से है कि वादीगण ने निवेदन किया गया कि

- वादीगण एवं प्रतिवादी संख्या 01 से 03 एक ही परिवार के सदस्य है जो हिन्दू विधि से शासित होते है। वादीगण प्रतिवादी संख्या 01 के स्व0 पुत्र पन्नाराम के जायंदा पुत्र एवं पत्नी है। जिसका पारिवारिक सजरा निम्नानुसार है—

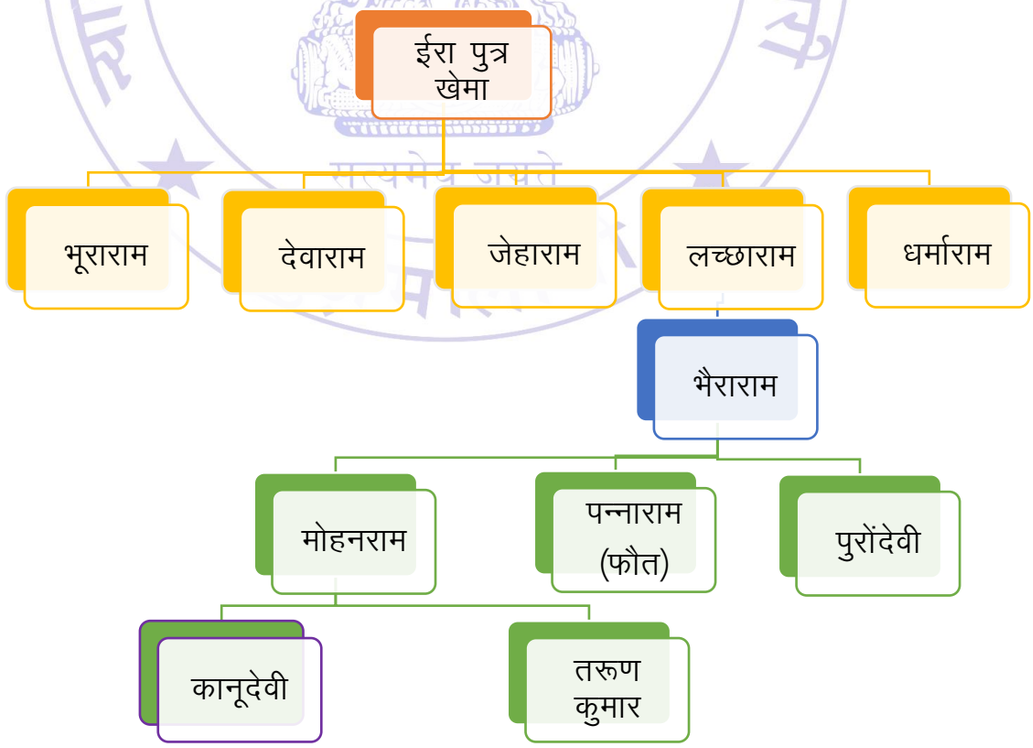

Signature Not Verified

Digitally signed by Keshav Kumar Meena
Date: 2026.04.06 19:10:26 IST
Reason: SelfAttested

- कि वादीगण एवं प्रतिवादी संख्या 01 से 21 की संयुक्त पैतृक कब्जे काश्त की आराजी खसरा संख्या 125/20.0956 है0, 129/4.9268 है0, 132/0.7686 है0, 138/8.1224 है0, 153/0.1052 है0, 157/0.0162 है0, 158/0.2023 है0, 160/0.0324 है0, 161/0.0566 है0, 162/16.8596 है0 मौजा जाणियों की ढाणी पटवार हल्का निम्बलकोट तहसील नोखड़ा में अवस्थित है।
- कि उक्त वादगस्त आराजी में प्रतिवादी संख्या 01 का 1/5 हिस्सा राजस्व रेकर्ड में अमलदरामद है। जो अपने दादा इरा पुत्र खेमा को पैतृक विरासत में प्राप्त हुई। जिससे उक्त वादग्रस्त आराजी में वादीगण का जन्म से 1/5 हिस्से में से 1/4 अर्थात 1/20 हिस्सा निहित है। वादीगण के साथ प्रतिवादी संख्या 1 से 3 का भी बराबर 1/20–1/20 हिस्सा खातेदारी का है।
- कि उक्त वादग्रस्त आराजी के 1/20–1/20 हिस्से पर वहामी बंटवारा अनुसार वादीगण एवं प्रतिवादीगण ढाणिया बनाकर निवास कर रहे है। वादीगण के पिता व पति का स्वर्ग होने से वादीगण ही प्रथम श्रेणी के वारिस होने के कारण हिन्दू उत्तराधिकार अधिनियम की धारा–6 व 8 के अनुसार हिन्दु पुरूष के पौत्र व प्रपौत्र का जन्म से पैतृक सम्पति में अधिकार सृजित हो जाते है।
- कि प्रतिवादी संख्या 01 वादीगण के पिता व पति की हत्या में शामिल होने के कारण वादीगण से ईर्ष्या व द्वेषभावना रखकर वादीगण को अपने हिस्से की भूमि से महरूम करना चाहते है एवं प्रतिवादी संख्या 01 वर्तमान में जमीन की किमतों में अप्रत्याशित वृद्धि होने के कारण एवं राजस्व रेकर्ड अंकित नाम को बेजा फायदा उठाते हुए वादग्रस्त आराजी को किसी तृतीय पक्षकार को बेचान करने पर आमादा है और वादीगण को पैतृक संपत्ति से वंचित रखना चाहते है। प्रतिवादी संख्या 01 को वादीगण के हिस्से की पैतृक आराजी को बेचान करने का कोई अधिकार नहीं है।
- इस प्रकार वादीगण के पिता व पति का स्वर्ग होने से वादीगण ही प्रथम श्रेणी के वारिस होने के कारण हिन्दू उत्तराधिकार अधिनियम की धारा–6 व 8 के अनुसार हिन्दु पुरूष के पौत्र व प्रपौत्र का जन्म से पैतृक सम्पति में अधिकार सृजित होने से वादीगण उक्त वादग्रस्त आराजी में 1/20 हिस्से की खातेदारी घोषणा करवाने के अधिकारी है।
- कि वादग्रस्त आराजी में वादीगण की खातेदारी घोषणा पश्चात प्रतिवादी वादीगण के हक हिस्से की आराजी में हस्तक्षेप व किसी प्रकार की दखलअंदाजी नहीं करने की स्थाई निषेधाज्ञा से पाबंद किये जाने का निवेदन किया।

2. वाद पत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादी को जरिये नोटिस तलब किया गया। प्रतिवादी संख्या 1, 4, 11, 12 असालतन वकालतन उपस्थित न्यायालय हुए। शेष अनुपस्थित प्रतिवादीगण के विरूद्ध एकतरफा कार्यवाही अमल में लाई गई। प्रतिवादी संख्या 01 द्वारा जवाब प्रस्तुत कर निवेदन किया कि
    - कि वादग्रस्त आराजी में प्रतिवादी संख्या 01 हिस्सा 1/5 का रेकर्डेड खातेदार है। उक्त वादग्रस्त आराजी में प्रतिवादी संख्या 01 के जीवित रहते पुत्रवधू हिन्दु उत्तराधिकार अधिनियम के तहत प्रथम श्रेणी की विधिक वारिसान नहीं होने से वादीगण का हिस्सा सृजित नहीं हो सकता है। हिन्दु उत्तराधिकार के

Signature Not Verified

Digitally signed by Keshav Kumar Meena
Date: 2026.04.06 19:10:26 IST
Reason: SelfAttested

अन्तर्गत महिला अपने पिता की सम्पत्ति में पुरूषों के समान अधिकार प्राप्त है। जबकि ससुर के विरूद्ध हक और अधिकार सृजित नहीं होते है।

- कि वादी संख्या 01 के पिता की हत्या में वादी संख्या 02 शामिल होने से वादी संख्या 01 व वादी संख्या 02 के हितों में परस्पर टकराव है। वादीनी द्वारा मनगढ़त तथ्यों के आधार पर वाद पेश कर हिस्सा प्राप्त कर जिसे आगे हस्तांतरण करना चाहती है और वादी संख्या 01 को हमेशा के लिए पैतृक भूमि से वंचित रखना चाहती है। वादी संख्या 01 नाबालिक बालक होने से उसे अपने अधिकारों एवं उत्तरदायित्व का कोई ज्ञान नहीं है।
- कि वादिनी द्वारा अपने पति की हत्या में संलिप्तता के आरोप लगने के बाद वादीगण का उक्त वादग्रस्त आराजी में कोई कब्जा एवं घर इत्यादि नहीं है। प्रतिवादी संख्या 01 पर वादिनी के पति की हत्या के विरूद्ध किसी सक्षम न्यायालय में आरोप साबित नहीं है।
- कि वादग्रस्त आराजी प्रतिवादी संख्या 01 की स्वअर्जित संपत्ति है। जिसे प्रतिवादी संख्या 01 के पिता द्वारा साहूकारों से भारी ऋण अदायगी पश्चात प्राप्त की है। जिस पर वादीगण का कभी भी कब्जा काश्त नहीं रहा है। प्रकरण में प्रथमदृष्टया वादीगणी प्रथम श्रेणी के वारिस नहीं है। मनगढ़त तथ्यों पर वाद पेश कर वादिनी भूमि हड़प कर अजनबी क्रेता को बेचान करने के उद्देश्य से पेश किया हुआ हाने के कारण खारिज किये जाने योग्य है।

3. प्रकरण में निम्न प्रकार तनकीयात कायम किये गये।
   1. आया मुतनाजा आराजी संयुक्त हिन्दू परिवार की सहदायिकी व पैतृक संपति है।

      .....वादी
   2. आया वादीगण भैराराम पुत्र लच्छाराम के विधिक वारिस होने के आधार पर हिन्दू उत्तराधिकार अधिनियम–1956 के तहत मुतनाजा आराजी पर 1/20 हिस्से की खातेदारी अधिकारों की घोषणा प्राप्त करने के अधिकारी है।

      .....वादी
   3. आया वादीगण हिन्दू उत्तराधिकार अधिनियम–1956 के तहत 1/20 हिस्से की खातेदारी अधिकारों की घोषणा प्राप्त करने के आधार पर विरूद्ध प्रतिवादी मुताबिक वादपत्र वर्णित अनुतोष स्थायी निषेधाज्ञा प्राप्त करने के अधिकारी है।

      .....वादी
   4. आया मुतनाजा आराजी प्रतिवादी संख्या 01 की स्वअर्जित संपत्ति है।

      .....प्रतिवादी
   5. आया दावा वादीगण का खातेदारी अधिकारों की घोषणा का अनुतोष प्रतिवादी संख्या 01 के जीवित रहते कोई अधिकार नहीं होने व वादी के नाबालिग होने के आधार पर पोषणीय नहीं होने के कारण काबिल–ए–खारिज है।

      .....प्रतिवादी
   6. आया दावा मुतनाजा आराजी पर प्रतिवादी का सालिम कब्जा होने तथा वादीगण का कोई कब्जा नहीं होने के कारण स्थायी निषेधाज्ञा का प्रकरण नहीं बनने के कारण काबिल–ए–खारिज है।

      .....प्रतिवादी

Signature Not Verified

Digitally signed by Keshav Kumar Meena
Date: 2026.04.06 19:10:26 IST
Reason: SelfAttested

7. अन्य दादरसी

.....उभय–पक्षकारान

4. तत्पश्चात् पत्रावली वादी साक्ष्य में नियत की गई। प्रकरण में वादीगण द्वारा साक्ष्य स्वरूप निम्न दस्तावेज प्रस्तुत किए–

प्रदर्श	दस्तावेज	संवत/विवरण
प्रदर्श–01	जमाबंदी	खाता संख्या 41 सम्वंत 2076–79 मौजा जाणियो की ढाणी
प्रदर्श–02	नक्शा	खाता संख्या 41 मौजा जाणियो की ढाणी
प्रदर्श–03	खतौनी बन्दोबस्त	ग्राम निम्बलकोट संवत 2012–2031
प्रदर्श–04ए	आधार कार्ड	तरूण कुमार
प्रदर्श–05ए	आधार कार्ड	कानु कुमारी पत्नी पनाराम
प्रदर्श–06ए	मृत्यु प्रमाण पत्र	पनाराम पुत्र भैराराम
प्रदर्श–07ए	एफआईआर प्रति	एफआईआर संख्या 0112 पुलिस थाना सिणधरी

5. प्रकरण में वादीगण द्वारा साक्ष्य स्वरूप निम्न गवाह प्रस्तुत किए–

	नाम	जाति	निवासी
पी0डब्ल्यू–01	कानूदेवी पत्नी पन्नाराम	जाट	जाणियो की ढाणी, निम्बलकोट
पी0डब्ल्यू–02	गोमाराम पुत्र चेनाराम	जाट	जाणियो की ढाणी, निम्बलकोट

6. प्रकरण में पी0डब्ल्यू–01, पी0डब्ल्यू–02 द्वारा हलफनामा प्रस्तुत करते हुए समान रूप से साक्ष्य स्वरूप निम्न प्रकार अभिवचन किये–

- वादीगण एवं प्रतिवादी संख्या 01 से 03 एक ही परिवार के सदस्य है जो हिन्दू विधि से शासित होते है। वादीगण प्रतिवादी संख्या 01 के स्व0 पुत्र पन्नाराम के जायंदा पुत्र एवं पत्नी है।
- कि वादीगण एवं प्रतिवादी संख्या 01 से 21 की संयुक्त पैतृक कब्जे काश्त की आराजी खसरा संख्या 125/20.0956 है0, 129/4.9268 है0, 132/0.7686 है0, 138/8.1224 है0, 153/0.1052 है0, 157/0.0162 है0, 158/0.2023 है0, 160/0.0324 है0, 161/0.0566 है0, 162/16.8596 है0 मौजा जाणियों की ढाणी पटवार हल्का निम्बलकोट तहसील नोखड़ा में अवस्थित है।
- कि उक्त वादगस्त आराजी में प्रतिवादी संख्या 01 का 1/5 हिस्सा राजस्व रेकर्ड में अमलदरामद है। जो अपने दादा इरा पुत्र खेमा को पैतृक विरासत में प्राप्त हुई। जिससे उक्त वादग्रस्त आराजी में वादीगण का जन्म से 1/5 हिस्से में से 1/4 अर्थात 1/20 हिस्सा निहित है। वादीगण के साथ प्रतिवादी संख्या 1 से 3 का भी बराबर 1/20–1/20 हिस्सा खातेदारी का है।
- कि उक्त वादग्रस्त आराजी के 1/20–1/20 हिस्से पर वहामी बंटवारा अनुसार वादीगण एवं प्रतिवादीगण ढाणिया बनाकर निवास कर रहे है। वादीगण के पिता व पति का स्वर्ग होने से वादीगण ही प्रथम श्रेणी के वारिस होने के

Signature Not Verified

Digitally signed by Keshav Kumar Meena
Date: 2026.04.06 19:10:26 IST
Reason: SelfAttested

कारण हिन्दू उत्तराधिकार अधिनियम की धारा–6 व 8 के अनुसार हिन्दु पुरूष के पौत्र व प्रपौत्र का जन्म से पैतृक सम्पति में अधिकार सृजित हो जाते है।

- कि प्रतिवादी संख्या 01 वादीगण के पिता व पति की हत्या में शामिल होने के कारण वादीगण से ईर्ष्या व द्वेषभावना रखकर वादीगण को अपने हिस्से की भूमि से महरूम करना चाहते है एवं प्रतिवादी संख्या 01 वर्तमान में जमीन की किमतों में अप्रत्याशित वृद्धि होने के कारण एवं राजस्व रेकर्ड अंकित नाम को बेजा फायदा उठाते हुए वादग्रस्त आराजी को किसी तृतीय पक्षकार को बेचान करने पर आमादा है और वादीगण को पैतृक संपत्ति से वंचित रखना चाहते है। प्रतिवादी संख्या 01 को वादीगण के हिस्से की पैतृक आराजी को बेचान करने का कोई अधिकार नहीं है।
- इस प्रकार वादीगण के पिता व पति का स्वर्ग होने से वादीगण ही प्रथम श्रेणी के वारिस होने के कारण हिन्दू उत्तराधिकार अधिनियम की धारा–6 व 8 के अनुसार हिन्दु पुरूष के पौत्र व प्रपौत्र का जन्म से पैतृक सम्पति में अधिकार सृजित होने से वादीगण उक्त वादग्रस्त आराजी में 1/20 हिस्से की खातेदारी घोषणा करवाने के अधिकारी है।
- कि वादग्रस्त आराजी में वादीगण की खातेदारी घोषणा पश्चात प्रतिवादी वादीगण के हक हिस्से की आराजी में हस्तक्षेप व किसी प्रकार की दखलअंदाजी नहीं करने की स्थाई निषेधाज्ञा से पाबंद किये जाने का निवेदन किया।
- इस संबंध में पैरा संख्या 04 के अनुसार प्रदर्श अंकित किये गये।

7. प्रकरण में पी0डब्ल्यू–01 कानूदेवी पत्नी पनाराम द्वारा साक्ष्य प्रतिपरीक्षण में अभिकथन किये है कि यह कहना सही है कि वादग्रस्त जमीन पुश्तैनी है। यह कहना सही है कि शुरू से जमीन मेरे पड़दादा ससुर के नाम से नपी थी। वर्तमान में मेरे ससुर के नाम है। यह कहना सही है कि वादग्रस्त खेतों के 10 खसरे है। मेरे ससुर के देशी 10 साठीकड़ जमीन है। यह कहना सही है कि मेरे ससुर के दो लड़के है और एक पुत्री है। मेरे ससुरजी मेरे जेठ के साथ रहते है। मेरी सास मेरे साथ रहती है। वकील साहब ने शपथ पत्र में क्या लिखा था मुझे पढ़कर सुनाया था। वादग्रस्त जमीन पर हम भी काश्त करते है। जब मैने कोर्ट में शपथ पत्र पेश किया तब वकील साहब ने शपथ पत्र पढ़ाया था एवं हस्ताक्षर करवाए थे। शपथ पत्र में दो पेज है। यह कहना गलत है कि वादग्रस्त जमीन खरीदी हुई थी। अज खुद कहा कि वादग्रस्त जमीन पैतृक है। मेरे ससुरजी के पिताजी 6 भाई थे जिसमें से एक लाऔलाद फौत हो गया। वादग्रस्त खेत जाणियों की ढाणी में आया हुआ है। वादग्रस्त खेत बूढ़ियों का सामलाती खेत है। यह कहना गलत है कि मैं मेरे सुसर–सास की सेवा करनी नहीं चाहती इसलिए जमीन लेना चाहती हो। अज खुद कहा कि मैं मेरे सास की सेवा करती हूं। वकील साहब ने सादे पेपर पर हस्ताक्षर नही करवा कर लिखे हुए पेपर पर साइन करवाए। यह कहना गलत है कि यह दावा मैंने पिरियों के कहने से किया हो। अज खुद कहा कि मैंने खुद की इच्छा से किया।

8. प्रकरण में पी0डब्ल्यू–02 गोमाराम पुत्र चेनाराम द्वारा साक्ष्य प्रतिपरीक्षण में अभिकथन किये है कि वादग्रस्त खेतों के 10 खसरें है। जमीन कुल 316 बीघा की है। जिसमें

Signature Not Verified

Digitally signed by Keshav Kumar Meena
Date: 2026.04.06 19:10:26 IST
Reason: SelfAttested

5 वां हिस्सा भैराराम का बनता है। कानू मेरे भतीजी लगती है। इस खेत के सेढ़े जाणियों की बेरी निम्बलकोट में मेरा भी खेत है। यह कहना गलत है कि कानू से दावा इसके पीरियों ने करवाया। अज खुद कहा कि कानू खुद ने किया। इनके पहले से ही विवाद चला आ रहा है। यह कहना गलत है कि भेराराम ने यह जमीन खरीदी हुई है अज खुद कहा कि पैतृक खेत है। भापत्र पत्र वकील साहब ने मुझे पढ़ाया था क्या लिखा हुआ है इतना याद नहीं है। भेराराम एक ही भाई है। भेराराम के पिताजी का नाम लच्छाराम है। संवत 2012 में जमीन ईसराराम या भेराराम के नाम से किसके नपी आज मुझे याद नहीं है। यह कहना गलत है कि कानु के पास पीहर पक्ष ने दावा करवाया है।

9. पत्रावली पर विद्वान अधिवक्ता उभयपक्षकारान की बहस सुनी गई। दौराने बहस विद्वान अधिवक्ता द्वारा वाद पत्र में अंकित बिन्दुओं को मात्र दौहराते हुए आराजी पर हिन्दू उत्तराधिकार अधिनियम के तहत उक्त पैतृक आराजी में अपना हिस्सा निहित होने के आधार पर वादीगण को खातेदार घोषित किया जाने का निवेदन किया। दौरान–ए–बहस अधिवक्ता प्रतिवादीगण निवेदन किया गया कि प्रतिवादी संख्या 01 के जीवनकाल में वादिनी पुत्रवधू का कोई हिस्सा सृजित नहीं होता है एवं वादिनी एवं वादी संख्या 01 के हितों के मध्य टकराव होने से वादिनी, वादी संख्या 01 के हिस्से को हस्तांतरण करने पर उतारू है। प्रकरण में प्रथमदृष्टया वादीगणी प्रथम श्रेणी के वारिस नहीं है। मनगढ़त तथ्यों पर वाद पेश कर वादिनी भूमि हड़प कर अजनबी क्रेता को बेचान करने के उद्देश्य से पेश किया हुआ हाने के कारण खारिज किये जाने योग्य है।

10. प्रकरण में सर्वप्रथम तनकीवार विश्लेषण किया जाना आवश्यक है। प्रकरण में तनकी संख्या 01 व 02 का विश्लेषण किया जाना अपेक्षित है। प्रकरण में तनकी संख्या 01 व 02 निम्न प्रकार हैंः–

    1. *आया मुतनाजा आराजी संयुक्त हिन्दू परिवार की सहदायिकी व पैतृक संपत्ति है।*

    ..... *वादीगण*

11. प्रकरण में तनकी संख्या 01 इस बात से संबंधित है कि मुतनाजा आराजी पैतृक आराजी है अथवा नहीं है। इस संबंध में सहदायिकी संपति को समझने के लिए सर्वप्रथम पैतृक संपति की संकल्पना/अवधारणा को समझना आवश्यक है। अतः प्रकरण में हिन्दू उतराधिकार के तहत पैतृक आराजी की संकल्पना/अवधारणा के संबंध में कानून/विधि की स्थिति को समझना अपरिहार्य है। हिन्दू विधि के तहत पैतृक संपति की वृहत संकल्पना को समझने के पश्चात हिन्दू विधि के पैतृक संपति के निम्न आवश्यक अवयव हैः–

    1. *किसी हिन्दू को अपने तृतीय पीढी के पूर्वज पुरूष पिता के पिता के पिता (परदादा) की संपति, अपने पिता व पिता के पिता (दादा) की मृत्यु पिता के पिता के पिता (परदादा) की मृत्यु से पहले होने की स्थिति में, विरासत में सीधे प्राप्त होने पर प्राप्त संपति उस हिन्दू की पैतृक संपति होती है। उपरोक्त प्रथम परिस्थिति में स्पष्ट किया गया है।*

Signature Not Verified

Digitally signed by Keshav Kumar Meena
Date: 2026.04.06 19:10:26 IST
Reason: SelfAttested

2. *किसी हिन्दू को अपने द्वितीय पीढी के पूर्वज पुरूष पिता के पिता (दादा) की संपति, अपने पिता की मृत्यु पिता के पिता (दादा) की मृत्यु से पहले होने की स्थिति में, विरासत में सीधे प्राप्त होने पर प्राप्त संपति उस हिन्दू की पैतृक संपति होती है। उपरोक्त द्वितीय परिस्थिति में स्पष्ट किया गया है।*
3. *किसी हिन्दू को अपने प्रथम पीढी के पूर्वज पुरूष पिता की संपति विरासत में प्राप्त होने पर प्राप्त संपति उस हिन्दू की पैतृक संपति होती है। उपरोक्त तृतीय परिस्थिति में स्पष्ट किया गया है। इस स्थिति में हिन्दू उतराधिकार अधिनियम–1956 के लागू होने के पश्चात धारा–8 के तहत विरासत के तहत प्राप्त संपति को प्राप्तकर्ता हिन्दू की पैतृक संपति नहीं मानकर प्राप्तकर्ता हिन्दू की पृथक संपति माना जाता है। अगर इस स्थिति में विरासत हिन्दू उतराधिकार अधिनियम–1956 के लागू होने से पूर्व खुलती हैं उस स्थिति में ही विरासत के तहत प्राप्त संपति को प्राप्तकर्ता हिन्दू की पैतृक संपति माना जाता है।*
4. *किसी हिन्दू की प्राप्त पैतृक संपति को उस हिन्दू द्वारा अपने पुत्र, अपने पुत्र के पुत्र (पौत्र), अपने पुत्र के पुत्र के पुत्र (प्रपौत्र) होने की स्थिति में आवश्यक रूप से धारण करना अनिवार्य है।*
5. *किसी हिन्दू की प्राप्त पैतृक संपति में उस हिन्दू का पुत्र, पुत्र के पुत्र (पौत्र), पुत्र के पुत्र के पुत्र (प्रपौत्र) जन्म से ही अधिकार निहित रखता है।*
6. *हिन्दू उतराधिकार (संशोधन) अधिनियम–2005 द्वारा हिन्दू उतराधिकार अधिनियम–1956 की धारा–06 में किये गये संशोधन के पश्चात पुत्रियों को भी पुत्रों के समान सहदायक माना गया है। इस आधार पर किसी हिन्दू की प्राप्त पैतृक संपति में उस हिन्दू की पुत्री भी जन्म से ही अधिकार निहित रखती है।*

12. हिन्दु विधि में सहदायिकी संपति में पैतृक आराजी, हिन्दू संयुक्त परिवार के किसी सदस्य की स्वअर्जित संपति, हिन्दू संयुक्त परिवार के किसी सदस्य की पृथक संपति एवं पैतृक संपति से उत्पन्न आय से हिन्दू संयुक्त परिवार के किसी सदस्य द्वारा क्रय की गई संपति शामिल होती है। सहदायिकी संपति की वृहत संकल्पना के निम्न अवयव होते हैः–

1. *सहदायिकी या हिन्दू संयुक्त परिवार की पैतृक आराजी अनिवार्य रूप से सहदायक संपति में निहित रहती है।*
2. *हिन्दू संयुक्त परिवार के किसी सदस्य की स्वअर्जित संपति उस सदस्य विशेष द्वारा हिन्दू संयुक्त परिवार या सहदायिकी संपति के बंडल में स्वेच्छा से समर्पित किये जाने पर सदस्य*

Signature Not Verified

Digitally signed by Keshav Kumar Meena
Date: 2026.04.06 19:10:26 IST
Reason: SelfAttested

विशेष की स्वअर्जित संपति सहदायक संपति में समाहित हो जाती है।

3. *हिन्दू संयुक्त परिवार के किसी सदस्य को अन्य स्रोत यथा–वसीयत, दान व पैतृक आराजी के अतिरिक्त विरासत से प्राप्त संपति उस सदस्य विशेष द्वारा हिन्दू संयुक्त परिवार या सहदायिकी संपति के बंडल में स्वेच्छा से समर्पित किये जाने पर सदस्य विशेष की पृथक संपति सहदायक संपति में समाहित हो जाती है।*
4. *हिन्दू संयुक्त परिवार के किसी सदस्य द्वारा हिन्दू संयुक्त परिवार की संपति से उत्पन्न आय से खरीद की गई संपति आवश्यक रूप से सहदायिकी संपति में समाहित होती है।*
5. *हिन्दू संयुक्त परिवार के किसी सदस्य द्वारा हिन्दू संयुक्त परिवार की संपति को नुकसान पहुचाते हुए किसी सदस्य द्वारा खरीद की गई संपति अनिवार्य रूप से सहदायिकी संपति में समाहित होती है।*

13. प्रकरण में हिन्दू विधि के तहत हिन्दू संयुक्त परिवार एवं हिन्दू संयुक्त परिवार संपति की संकल्पना/अवधारणा के संबंध में कानून/विधि की स्थिति के पश्चात हस्तगत प्रकरण में विवादित आराजी के वादीगण व प्रतिवादीगण की पैतृक संपति होने के बारे में विश्लेषण किया जाना अपेक्षित है।

14. साथ ही विवादित आराजी के वादीगण व प्रतिवादीगण की संपति प्राप्तकर्ता भैराराम पुत्र लच्छाराम के वारिसान वादीगण है। मुतनाजा आराजी ईरा वल्द खेमा की आराजी रही है। तत्पश्चात ईरा के फौत होने पर विरासत में उक्त आराजी लच्छाराम पुत्र ईरा को प्राप्त हुई है। साथ ही लच्छाराम पुत्र ईरा के फौत होने पर संपत्ति भैराराम पुत्र लच्छाराम को विरास्त में प्राप्त हुई। इस प्रकार उक्त संपति के प्राप्तकर्ता द्वारा उक्त संपति वादीगण व प्रतिवादी के द्वितीय पीढी के पुरूष पुर्वज ईरा वल्द खेमा से विरासत में प्राप्त हुई है। उक्त संपति को वादीगण एवं प्रतिवादीगण द्वारा हिन्दू संयुक्त परिवार की संपति के रूप में धारित किया जा रहा हैं। इस प्रकार उक्त संपति के प्राप्तकर्ता द्वारा उक्त संपति वादीगण व प्रतिवादी के द्वितीय पीढी के पुरूष पुर्वज से विरासत में प्राप्त होने के कारण वादीगण एवं प्रतिवादीगण की पैतृक संपति मानना विधिसंगत है।

15. प्रकरण में वादीगण व प्रतिवादीगण संख्या 01–21 के हिन्दू संयुक्त परिवार के सदस्य मानने के पश्चात विवादित आराजी के सहदायिकी संपति होने के बारे में विश्लेषण किया जाना अपेक्षित है। इससे पहले प्रकरण में हिन्दू विधि के तहत सर्वप्रथम सहदायक एवं सहदायिकी संपति की संकल्पना/अवधारणा के संबंध में कानून/विधि की स्थिति को समझना अपरिहार्य है। सहदायक एवं सहदायिकी संपति की संकल्पना/अवधारणा के निम्न आवश्यक इस प्रकार हिन्दू संयुक्त परिवार एवं हिन्दू संयुक्त परिवार द्वारा धारित संपति की संकल्पना/अवधारणा के निम्न आवश्यक अवयव हैः–

Signature Not Verified

Digitally signed by Keshav Kumar Meena
Date: 2026.04.06 19:10:26 IST
Reason: SelfAttested

1. *हिन्दू विधि में सहदायिकी में सभी सदस्यों का एक पुरूष पूर्वज होना आवश्यक है।*
2. *हिन्दू विधि में सहदायिकी में पुरूष पुर्वज के तीन पीढीयों के वंशज सभी पुरूष शामिल होते है।*
3. *हिन्दू उतराधिकार (संशोधन) अधिनियम–2005 द्वारा हिन्दू उतराधिकार अधिनियम–1956 की धारा–06 में किये गये संशोधन के पश्चात पुत्रियों को भी पुत्रों के समान सहदायक माना गया है।*
4. *हिन्दू विधि में सहदायिकी संपति में पुरूष पुर्वज के तीन पीढीयों के वंशज सभी पुरूषों का जन्म से ही अधिकार निहित हो जाता है।*
5. *हिन्दू विधि में सहदायिकी संपति में उस हिन्दू का पुत्र, पुत्र का पुत्र (पौत्र), पुत्र के पुत्र का पुत्र (प्रपौत्र) जन्म से ही अधिकार निहित रखता है।*
6. *हिन्दू विधि में सहदायिकी में कोई सहदायक बिना विभाजन करवाये अपने हिस्से का अंतरण नहीं कर सकता है।*
7. *हिन्दू विधि में सहदायिकी संपति में प्रत्येक सहदायक का विभाजन तक अन्य सहदायकों के साथ समस्त सहदायिकी संपति के प्रत्येक भाग पर समान स्वामित्व माना जाता है।*
8. *हिन्दू विधि में सहदायिकी संपति में प्रत्येक सहदायक का विभाजन तक अन्य सहदायकों के साथ समस्त सहदायिकी संपति के प्रत्येक भाग पर समान कब्जा माना जाता है।*
9. *हिन्दू विधि में सहदायिकी संपति में कोई सहदायक बिना अन्य सहदायकों की सहमति के बिना कोई विधिक आवश्यकता के अपने हिस्से का अंतरण नहीं कर सकता है।*
10. *हिन्दू विधि में सहदायिकी संपति में सहदायक की मृत्यु पर सभी सहदायकों का हिस्सा बढ जाता है। इसी प्रकार सहदायिकी संपति में सहदायक के जन्म पर सभी सहदायकों का हिस्सा घट जाता है। इस प्रकार सहदायिकी संपति में किसी भी सहदायक का हिस्सा निश्चित नहीं होकर सहदायिकी में सदस्यों के जुड़ने व हटने पर परिवर्तित होता रहता है।*
11. *हिन्दू विधि में सहदायिकी संपति में किसी एक सहदायक द्वारा अपना अधिकार/हक त्यागने पर बाकी अन्य सहदायकों के पक्ष में समान अधिकार सृजन माना जाता है।*
12. *हिन्दू विधि में सहदायिकी विधि द्वारा सृजित ईकाई है। किन्ही सदस्यों के द्वारा आपस में सहदायिकी का सृजन नहीं किया जा सकता है।*
13. *हिन्दू विधि में सहदायिकी में गोद द्वारा नये सदस्य जोड़े जा सकते है।*
14. *हिन्दू विधि में सहदायिकी में किसी पुरूष सदस्य के नहीं होने की स्थिति में सहदायिकी के अंत को रोकने हेतु गोद*

Signature Not Verified

Digitally signed by Keshav Kumar Meena
Date: 2026.04.06 19:10:26 IST
Reason: SelfAttested

द्वारा नये सदस्य जोड़कर सहदायिकी को आगे बढाया जा सकता है।

16. अतः वादीगण एवं प्रतिवादीगण संख्या 01–21 के एक ही हिन्दू संयुक्त परिवार के सदस्य होने के आधार पर वादीगण एवं प्रतिवादीगण संख्या 01–21 उक्त सहदायिकी में सहदायक होना स्पष्ट है।

17. अब प्रकरण में उक्त तनकी के विश्लेषण से पूर्व साक्ष्य के भार के बारे में विधिक स्थिति को समझना आवश्यक है। प्रकरण में भारतीय साक्ष्य अधिनियम–2023 के प्रासंगिक प्रावधानों तथा उक्त न्यायिक दृष्टांत का अवलोकन करने पर कानूनी स्थिति स्पष्ट होती है कि जहां आपराधिक प्रकरणों में निर्णयन संदेहरहित प्रमाणन के आधार पर किया जाता है। वही सिविल प्रकृति के मामलों में संभावनाओं की प्रबलता/प्रधानता के आधार पर निर्णयन किया जाता है। साथ ही यह भी कानूनी स्थिति है कि दावे के अभिवचन साक्ष्य नहीं होते है। दावाकर्त्ता व्यक्ति को अपने दावे के समर्थन में पृथक से साक्ष्य प्रस्तुत करते हुए अपने दावे के तथ्य को साबित करने का दायित्व होता है।

18. इसके साथ ही यह भी कानूनी स्थिति स्पष्ट होती है कि सबूत का भार तथा प्रमाण का भार में अंतर है। किसी सिविल दावे में सबूत का भार प्रमुखतः वादी पर होता है। सबूत का भार स्थानांतरित नहीं होता है। जबकि प्रमाण का भार स्थानांतरित होता है। किसी सिविल दावे में किसी तथ्य को साबित करने का भार उस तथ्य के आधार पर दावा करने वाले व्यक्ति पर होता है। जब किसी तथ्य को किसी व्यक्ति द्वारा प्रमाण का भार पूर्ण करते हुए साबित करने का दायित्व पूर्ण किया जाता है तो प्रमाण का भार प्रतिद्वंदी पर आ जाता है। अब प्रतिद्वंदी को उक्त तथ्य विशेष के खण्डन हेतु साबित करने का भार होने के कारण अगर प्रमाण प्रस्तुत करते हुए प्रमाणन का भार पूर्ण किया जाता है तो प्रमाण का भार वापस स्थानांतरित हो जाता है। इस प्रकार प्रमाण का भार स्थानांतरित होता रहता है। यह एक अनवरत प्रक्रिया है। जो व्यक्ति प्रमाणन का भार का दायित्व पूर्ण करने में असफल रहता है उसके विरूद्ध उक्त तथ्य को साबित माना जाता है।

19. प्रकरण में दौराने वादी साक्ष्य प्रतिपरीक्षण वादी ने प्रदर्श–03 के माध्यम से अभिवचन किये है कि मुतनाजा आराजी ईरा वल्द खेमा की आराजी रही है। तत्पश्चात ईरा के फौत होने पर विरासत में उक्त आराजी लच्छाराम पुत्र ईरा को प्राप्त हुई है। साथ ही लच्छाराम पुत्र ईरा के फौत होने पर संपत्ति भैराराम पुत्र लच्छाराम को विरास्त में प्राप्त हुई। इस प्रकार वादी अपने उपर आरोपित मुतनाजा आराजी के पैतृक व सहदायिकी संपत्ति होने के तथ्य के प्रमाणन के भार को निर्वहन करने में सफल रही है। इससे प्रमाणन का भार प्रतिवादी के उपर स्थानांतरित होता है। अब प्रमाणन का भार प्रतिवादी पर है कि वह मुतनाजा आराजी के पैतृक व सहदायिकी संपत्ति होने के तथ्य को नकारात्मक रूप से प्रमाणित करे।

20. इस संबंध में प्रतिवादी के गवाहों के प्रतिपरीक्षण का अवलोकन किया जाना अपेक्षित है। परंतु प्रतिवादी द्वारा इस संबंध में कोई साक्ष्य व गवाह प्रस्तुत नहीं किया है कि

Signature Not Verified

Digitally signed by Keshav Kumar Meena
Date: 2026.04.06 19:10:26 IST
Reason: SelfAttested

मुतनाजा आराजी के पैतृक व सहदायिकी संपत्ति नहीं है या पृथक व स्वतंत्र संपत्ति किस प्रकार है। इस संबंध में प्रतिवादी के उपर आरोपित प्रमाणन का भार को निर्वहन करने में प्रतिवादी असफल रहे है। इससे प्रमाणन का भार वापस वादी के उपर स्थानांतरित नहीं होता है।

21. इस प्रकार उक्त विश्लेषण से ज्ञात होता है कि विवादित आराजी के वादीगण व प्रतिवादीगण की संपति प्राप्तकर्ता भैराराम पुत्र लच्छाराम के वारिसान वादीगण है। मुतनाजा आराजी ईरा वल्द खेमा की आराजी रही है। तत्पश्चात ईरा के फौत होने पर विरासत में उक्त आराजी लच्छाराम पुत्र ईरा को प्राप्त हुई है। साथ ही लच्छाराम पुत्र ईरा के फौत होने पर संपत्ति भैराराम पुत्र लच्छाराम को विरास्त में प्राप्त हुई। इस प्रकार उक्त संपति के प्राप्तकर्ता द्वारा उक्त संपति वादीगण व प्रतिवादी के द्वितीय पीढी के पुरूष पुर्वज ईरा वल्द खेमा से विरासत में प्राप्त हुई है। उक्त संपति को वादीगण एवं प्रतिवादीगण द्वारा हिन्दू संयुक्त परिवार की संपति के रूप में धारित किया जा रहा हैं। इस प्रकार दस्तावेजीय साक्ष्य तथा मौखिक साक्ष्य के माध्यम से वादी अपने उपर आरोपित मुतनाजा आराजी के पैतृक व सहदायिकी संपत्ति होने के तथ्य के प्रमाणन के भार को निर्वहन करने में सफल रही है। इससे अब प्रमाणन का भार प्रतिवादी के उपर स्थानांतरित होता है। प्रतिवादी द्वारा इस संबंध में कोई साक्ष्य व गवाह प्रस्तुत नहीं किया है कि मुतनाजा आराजी के पैतृक व सहदायिकी संपत्ति नहीं है या पृथक व स्वतंत्र संपत्ति किस प्रकार है। इस संबंध में प्रतिवादी के उपर आरोपित प्रमाणन का भार को निर्वहन करने में प्रतिवादी असफल रहे है। इससे प्रमाणन का भार वापस वादी के उपर स्थानांतरित नहीं होता है। इस प्रकार वादी अपने उपर आरोपित मुतनाजा आराजी के पैतृक व सहदायिकी संपत्ति होने के तथ्य को उक्तानुसार साबित करने में सफल रही है। इस प्रकार वादी को मुतनाजा आराजी के पैतृक व सहदायिकी संपत्ति माना जाना उचित प्रतीत होता है। इस प्रकार तनकी संख्या 01 वादी के पक्ष में निर्णित की जाती है।

22. प्रकरण में तनकी संख्या 02 का विश्लेषण किया जाना अपेक्षित है। प्रकरण में तनकी संख्या 02 निम्न प्रकार हैंः—

> 2. *आया वादीगण भैराराम पुत्र लच्छाराम के विधिक वारिस होने के आधार पर हिन्दू उत्तराधिकार अधिनियम—1956 के तहत मुतनाजा आराजी पर 1/20 हिस्से की खातेदारी अधिकारों की घोषणा प्राप्त करने के अधिकारी है।*
>
> *.....वादीगण*

23. प्रकरण में प्रथम तनकी संख्या 02 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम—1955 की धारा—15 से संबंधित है। अतः सर्वप्रथम राजस्थान काश्तकारी अधिनियम—1955 की धारा—15 का उद्धरण यहां प्रासंगिक है। जो कि इस प्रकार हैः—

> ***15. Khatedar tenants**— (1) Subject to the provisions of section 16 and clause (d) of Sub-section (1) of section 180 every person who, at the commencement of this Act, is a tenant of land otherwise than as a sub-tenant or a tenant of Khudkasht or who is, after the commencement of this Act, admitted as a tenant otherwise than a sub-tenant or tenant of Khudkasht or an allottee of land under, and in accordance with, rules made under section 101 of the Rajasthan Land Revenue Act, 1956 (Rajasthan Act 15*

Signature Not Verified

Digitally signed by Keshav Kumar Meena
Date: 2026.04.06 19:10:26 IST
Reason: SelfAttested

of 1956) or who acquires Khatedari rights in accordance with provisions of this Act or of the Rajasthan Land Reforms and Resumption of Jagir Act, 1952 (Rajasthan Act VI of 1952) or of any other law for the time being in force shall be a Khatedar tenant and shall, subject to the provision of this Act be entitled to all the rights conferred; and be subject to all the liabilities imposed on Khatedar tenants by this Act:

***Provided** that no Khatedari rights shall accrue under this section to any tenant, to whom land is or has been let out temporarily in Gang Canal, Bhakra, Chambal or Jawai project area or any other area notified in this behalf by the State Government.*

(2) Notwithstanding anything contained in sub-section (1) Khatedari rights shall not accrue there under to any person to whom land had been let out before the commencement of this Act by the State Government in furtherance of the Grow More Food Campaign or under some special order subject to some specified conditions or in pursuance of some statutory or non-statutory rules and who shall have, before such commencement, made a default in securing the objective of such campaign or a breach of any such order, condition or rule.

(3) Any person referred to in sub-section (2) may, within three years from the date of commencement of this Act and on payment of a court-fee of twenty five naye paise apply to the Assistant Collector having jurisdiction praying for a declaration that acquired Khatedari right under sub-section (1) in the land held by him.

(4) Such application may be made on any of the following grounds, namely:

(a) that the land held by him was let out to him after the" commencement of this Act.

(b) that it was not let out to him in any of the circumstances specified in sub-section (2).

(c) that when the- land was so let out to him he was not apprised of such circumstances.

(d) that he had, before such commencement made no default or breach of the nature specified in sub-section (2).

(5) The Assistant Collector shall, upon the presentation of an application under sub-section (3), make inquiry in the prescribed manner and afford reasonable opportunity to the applicant of being heard and shall, if he does not reject the application , declare the applicant to have become Khatedar tenant of his holding in accordance with and subject to the provisions of the subsection (I).

7. प्रकरण में वादी द्वारा राजस्थान काश्तकारी अधिनियम–1955 की धारा–15 के अंतर्गत हिन्दू उत्तराधिकार अधिनियम–1956 के तहत अधिकार सृजित होने के आधार पर खातेदार

Signature Not Verified

Digitally signed by Keshav Kumar Meena
Date: 2026.04.06 19:10:26 IST
Reason: SelfAttested

के रूप में दर्ज होने का तनकी संख्या 01 में चाहा गया है। इस संबंध में हिन्दू उत्तराधिकार अधिनियम–1956 की धारा–6 का प्रकरण में अवलोकन किया जाना आवश्यक है जिसके प्रासंगिक विवरण का उद्धरण इस प्रकार हैः–

> **6. Devolution of interest in coparcenary property.—**
> *(1) On and from the commencement of the Hindu Succession (Amendment) Act, 2005 (39 of 2005), in a Joint Hindu family governed by the Mitakshara law, the daughter of a coparcener shall,—*
> *(a) by birth become a coparcener in her own right the same manner as the son;*
> *(b) have the same rights in the coparcenery property as she would have had if she had been a son;*
> *(c) be subject to the same liabilities in respect of the said coparcenery property as that of a son, and any reference to a Hindu Mitakshara coparcener shall be deemed to include a reference to a daughter of a coparcener:*
> *Provided that nothing contained in this sub-section shall affect or invalidate any disposition or alienation including any partition or testamentary disposition of property which had taken place before the 20th day of December, 2004.*

8. उक्त उद्धरण अनुसार हिन्दू उत्तराधिकार अधिनियम–1956 की धारा–6 के अवलोकन से ज्ञात होता है कि किसी हिन्दू पुरूष की संपत्ति में हिन्दू उत्तराधिकार अधिनियम–1956 की धारा–6 के अनुसार पुत्र/पुत्री/पौत्र को अधिकार व दायित्व दिये जाने के प्रावधान है। प्रकरण में तथ्य निर्विवादित है कि वादीगण व प्रतिवादीगण हिन्दू उत्तराधिकार अधिनियम–1956 के तहत हिन्दू होने के कारण प्रकरण में सम्पति पर हिन्दू उत्तराधिकार अधिनियम–1956 के प्रावधान लागू होते हैं। साथ ही वादीगण द्वारा प्रस्तुत प्रदर्श–03 खतौनी बंदोबस्त के अवलोकन से स्पष्ट है कि मुतनाजा आराजी प्रतिवादी संख्या 01 की स्वअर्जित आराजी नहीं होकर पैतृक आराजी है। साथ ही प्रकरण में यह तथ्य भी निर्विवादित है कि वादी संख्या 01 प्रतिवादी संख्या 01 का पौत्र व वादी संख्या 02 प्रतिवादी संख्या 02 के फौत पुत्र पन्ना की पत्नी है।

9. प्रकरण में वादीगण द्वारा मुतनाजा आराजी पर वादीगण व प्रतिवादीगण हिन्दू उत्तराधिकार अधिनियम–1956 के तहत हिन्दू होने के कारण प्रकरण में सम्पति पर हिन्दू उत्तराधिकार अधिनियम–1956 के प्रावधानों के तहत मुताबिक कानूनी हिस्सा खातेदारी अधिकारों की घोषणा चाही गई है। अतः हिन्दू उत्तराधिकार अधिनियम–1956 की धारा–6 के तहत वादीगण प्रतिवादी संख्या 01 के विधिक वारिस होने तथा प्रकरण में हिन्दू उत्तराधिकार अधिनियम–1956 लागू होने तथा मुतनाजा आराजी प्रतिवादी संख्या 01 की स्वअर्जित आराजी नहीं होकर पैतृक आराजी है। इस आधार पर वादीगण का मुतनाजा आराजी के सहदायिकी संपत्ति होने तथा वादीगण का जन्म से ही अधिकार निहित होने के आधार पर उक्त सहदायिकी संपत्ति में प्रतिवादी संख्या 01 के निर्धारित हिस्से में से अधिकार निहित होता है। इस प्रकार प्रकरण में तनकी संख्या 02 मुताबिक हिन्दू उत्तराधिकार अधिनियम–1956 के अनुसार वादीगण के पक्ष में निर्णित की जाती है।

Signature Not Verified

Digitally signed by Keshav Kumar Meena
Date: 2026.04.06 19:10:26 IST
Reason: SelfAttested

10. प्रकरण में अब तनकी संख्या 04 का विश्लेषण किया जाना अपेक्षित है। प्रकरण में तनकी संख्या 04 निम्न प्रकार हैंः—

> 4. *आया मुतनाजा आराजी प्रतिवादी संख्या 01 की स्वअर्जित संपत्ति है।*
>
> ..... *प्रतिवादी*

11. प्रकरण में तनकी संख्या 04 मुतनाजा आराजी के पैतृक या प्रतिवादी संख्या 01 की स्वअर्जित संपत्ति होने से संबंधित है। इस संबंध में प्रतिवादीगण द्वारा स्वअर्जित संपत्ति होने के संबंध में कोई दस्तावेज प्रदर्शित नहीं करवाए है। वादीगण द्वारा करवाए गए साक्ष्य का अवलोकन करने एवं प्रदर्शित दस्तावेज प्रदर्श—3 से स्पष्ट है कि मुतनाजा आराजी वादी संख्या 01 के परदादा एवं वादी संख्या 02 के पति के दादा की संपत्ति थी। जो प्रतिवादी संख्या 01 को विरासत में प्राप्त होने से उक्त संपत्ति प्रतिवादी संख्या 01 की स्वअर्जित संपत्ति नहीं होकर पैतृक संपत्ति है। साथ ही तनकी संख्या 01 के वादी के पक्ष में निर्णित होने के आधार पर तथा उक्त आधार पर प्रतिवादीगण उक्त तनकी संख्या 04 को साबित करने में असफल रहे है। इस कारण तनकी संख्या 04 प्रतिवादीगण के विरूद्ध निर्णित की जाती है।

12. प्रकरण में तनकी संख्या 03 व 06 स्थाई निषेधाज्ञा जारी करने से संबंधित है। प्रकरण में वादी के तनकी संख्या 03 व 06 के विवेचन हेतु तथ्यों का गहन विश्लेषण से पूर्व राजस्थान काश्तकारी अधिनियम—1955 की धारा—188 का उद्धरण यहॉ प्रतीत होता है। जो कि निम्न प्रकार हैः—

> ***188. Injunction against wrongful ejectment—***
> *(1) Any tenant whose right to or enjoyment of the whole or a part of his holding is invaded or threatened to be invaded by his landholder or any other person may bring a suit for the grant of a perpetual injunction.*
> *(2) The court may after making the necessary enquiry grant a perpetual injunction in the following cases, namely-*
> *(a) if there exist no standard for ascertaining the actual damage caused or likely to be caused by the invasion;*
> *(b) if the invasion is such that pecuniary compensation does not afford adequate relief;*
> *(c) where it is probable that pecuniary compensation cannot be got for the invasion.*
> *(d) where the injunction is necessary to prevent a multiplicity of proceedings.*

13. उक्त राजस्थान काश्तकारी अधिनियम—1955 की धारा—188 के अवलोकन से स्पष्ट है कि धारा—188 के अन्तर्गत किसी खातेदारी आराजी पर खातेदारी अधिकारो की आमदरफत में किसी प्रकार का व्यवधान/अतिक्रमण किया जा रहा हो/किया जाने वाला हो उस स्थिति में व्यवधान उत्पन्न/अतिक्रमण करने वाले व्यक्ति को स्थाई निषेधाज्ञा से पाबंद किए जाने के प्रावधान बनाए गए है। राजस्थान काश्तकारी अधिनियम—1955 की धारा—188 की उपधारा—2 में स्थाई निषेधाज्ञा जारी किए जाने हेतु निम्न चार परिस्थितियां बताई गई हैः—

Signature Not Verified

Digitally signed by Keshav Kumar Meena
Date: 2026.04.06 19:10:26 IST
Reason: SelfAttested

परिस्थिति	विवरण
1.	जब हो रहे/होने वाले संभावित अतिक्रमण/व्यवधान/घुसपैठ से होने वाले नुकसान के आंकलन हेतु कोई मानक/मापदण्ड अस्तित्व में नहीं हो।
2.	जब अतिक्रमण/व्यवधान/घुसपैठ इस प्रकार का हो कि नुकसान की आर्थिक भरपाई/क्षतिपूर्ति पर्याप्त राहत/संतुष्टि प्रदान नहीं करता हो।
3.	जब इस तथ्य की संभावना हो कि अतिक्रमण/व्यवधान/घुसपैठ से होने वाले नुकसान की आर्थिक भरपाई/क्षतिपूर्ति की प्रदानगी संभव नहीं होगी।
4.	जब निषेधाज्ञा राजस्व विवादों की बहुलता को रोकने हेतु आवश्यक हो।

14. इस प्रकार स्पष्ट है कि प्रकरण में पत्रावली के अवलोकन के अनुसार स्पष्ट है कि प्रकरण में तनकी संख्या 02 वादीगण के पक्ष में स्वीकार होने के पश्चात् मुतनाजा आराजी पर वादीगण का संयुक्त काश्तकार घोषित होने के आधार पर वादीगण की संयुक्त खातेदारी होना पूर्ण रूप से साबित होती है। अतः मुतनाजा आराजी पर मुताबिक हिस्सा वादीगण का संयुक्त स्वामित्व अविवादित है। परंतु राजस्व रिकॉर्ड में संयुक्त खातेदारी होने से वादी के किसी निश्चित भू–भाग पर बिना विधिक विभाजन करवाये कब्जे के बारे में कथन किया जाना कानूनन अनुचित है। इस कारण मुतनाजा आराजी पर वादीगण की संयुक्त खातेदारी आराजी होने के कारण वादीगण के किसी निश्चित भू–भाग पर बिना विधिक विभाजन करवाये कब्जे के बारे में संशय होने के कारण सुविधा व न्याय का संतुलन वादीगण के पक्ष में होना स्पष्ट नहीं है। अंत में प्रार्थी को अपूरणीय क्षति साबित करने से पूर्व संयुक्त आराजी का विधिक विभाजन करवाया जाना अपरिहार्य शर्त है। इस प्रकार अन्त में उपरोक्त विवेचन से स्पष्ट है कि वादीगण तनकी संख्या 03 प्रतिवादीगण के विरूद्ध संयुक्त आराजी का विधिक विभाजन करवाये बिना स्थाई निषेधाज्ञा प्राप्त करने के अधिकारी नहीं है। अतः तनकी संख्या 03 वादीगण के विरूद्ध निर्णित की जाती है। तनकी संख्या 03 वादीगण के विरूद्ध निर्णित हो जाने से तनकी संख्या 06 को निस्तारित किया जाता है।

15. इस प्रकरण में अब तनकी संख्या 05 का विश्लेषण किया जाना अपेक्षित है। प्रकरण में तनकी संख्या 05 निम्न प्रकार हैंः–

> 5. *आया दावा वादीगण का खातेदारी अधिकारों की घोषणा का अनुतोष प्रतिवादी संख्या 01 के जीवित रहते कोई अधिकार नहीं होने व वादी के नाबालिग होने के आधार पर पोषणीय नहीं होने के कारण काबिल–ए–खारिज है।*
>
> ..... *प्रतिवादी*

16. प्रकरण में तनकी संख्या 05 हिन्दु उत्तराधिकार अधिनियम–1956 की धारा–6 से संबंधित है। हिन्दु उत्तराधिकार अधिनियम–1956 की धारा–6 का विश्लेषण तनकी संख्या 02 के अंतर्गत किया जा चुका है। हिन्दू पुरूष की संपत्ति में हिन्दू उत्तराधिकार अधिनियम–1956 की धारा–6 के अनुसार पुत्र/पुत्री/पौत्र को अधिकार व दायित्व दिये जाने के प्रावधान है। प्रकरण में तथ्य निर्विवादित है कि वादीगण व प्रतिवादीगण हिन्दू उत्तराधिकार अधिनियम–1956 के तहत हिन्दू होने के कारण प्रकरण में सम्पति पर हिन्दू उत्तराधिकार अधिनियम–1956 के प्रावधान लागू होते हैं। इस प्रकार हिन्दु पुरूष के जीवित रहते पुत्र/पुत्री/पौत्र खातेदारी अधिकारों की घोषणा करवा सकते है। साथ ही हिन्दु विधि

Signature Not Verified

Digitally signed by Keshav Kumar Meena
Date: 2026.04.06 19:10:26 IST
Reason: SelfAttested

का सुस्थापित सिद्धान्त है कि जब सहदायकों के मध्य सहदायिकी संपत्ति का विभाजन किया जा रहा हो तो उस स्थिति में सहदायकों की माता, पत्नी, विधवा को भी नियमानुसार हिस्सा दिया जाता है। इस कारण वादी संख्या 01 के साथ उसकी माता वादी संख्या 02 का भी हक निहित होता है। इस प्रकार उक्त तनकी संख्या 06 प्रतिवादीगण के विरूद्ध निर्णित की जाती है।

17. निष्कर्षतः वादी संख्या 01 का उक्त मुतनाजा सहदायिकी संपत्ति में जन्म से अधिकार निहित होने तथा सहदायकों के मध्य सहदायिकी संपत्ति का विभाजन होने की स्थिति में सहदायकों की माता, पत्नी, विधवा वादी संख्या 02 को भी नियमानुसार हिस्सा निहित होने तथा हिन्दु विधि के अनुसार हिन्दू पुरूष की संपत्ति में हिन्दू उत्तराधिकार अधिनियम–1956 की धारा–6 के अनुसार पुत्र/पुत्री/पौत्र को जन्म से ही अधिकार व दायित्व निहित होने तथा सहदायिकी संपत्ति का विभाजन करवाने का अधिकार होने के आधार पर वादीगण का मुतनाजा आराजी के सहदायिकी संपत्ति होने तथा वादीगण का जन्म से ही अधिकार निहित होने के आधार पर उक्त सहदायिकी संपत्ति में प्रतिवादी संख्या 01 के निर्धारित हिस्से में से अधिकारों की घोषणा किया जाना उचित प्रतीत होता है। साथ ही वादी द्वारा सहदायिकी संपत्ति का विभाजन नहीं चाहा गया है। इस कारण बिना विभाजन करवाए संयुक्त खातेदारी आराजी पर खातेदार को स्थाई निषेधाज्ञा से पाबंद किये जाने का अनुतोष पोषणीय प्रतीत नहीं होता है।

आदेश है कि

वादीगण का दावा बाबत् इस्तक्करारहक आंशिक मंजूर किया जाकर डिक्री इस कदर जारी की जाती है कि खसरा संख्या 125/20.0956 है0, 129/4.9268 है0, 132/0.7686 है0, 138/8.1224 है0, 153/0.1052 है0, 157/0.0162 है0, 158/0.2023 है0, 160/0.0324 है0, 161/0.0566 है0, 162/16.8596 है0 मौजा जाणियों की ढाणी पटवार हल्का निम्बलकोट तहसील नोखड़ा में वादीगण प्रत्येक का 1/40–1/40 हिस्से की घोषणा करते हुए वादीगण को खातेदार घोषित किया जाता है।

निर्णय की पृथक से पर्चा डिक्री तैयार की जाये।

आज 27.03.2026 यह निर्णय मेरे द्वारा खुले न्यायालय में सुनाया जाकर हस्ताक्षर एवं मोहर युक्त जारी किया गया।

(केशव कुमार मीना आर.ए.एस)
सहायक कलक्टर
गुढामालानी

Signature Not Verified

Digitally signed by Keshav Kumar Meena
Date: 2026.04.06 19:10:26 IST
Reason: SelfAttested

सत्यमेव जयते

न्यायालय

सहायक कलक्टर/उपखण्ड अधिकारी

गुढामालानी

(पीठासीन अधिकारी –केशव कुमार मीना आर.ए.एस.)

वाद संख्याः– 2022/427 दर्ज तिथिः– 26.12.2022

1. तरूण कुमार पुत्र स्व0 पन्नाराम (नाबालिक जरिये कुदरती वलिया माता वादनी संख्या 02)
2. कानूदेवी पत्नी स्व0 पन्नाराम
   जाति जाट निवासीस जाणियो की ढाणी, निम्बलकोट तहसील नोखड़ा

.....वादीगण

बनाम

1. भैराराम पुत्र लच्छाराम
2. मोहनराम पुत्र भैराराम
   जाति जाट निवासी जाणियो की ढाणी, निम्बलकोट तहसील नोखड़ा
3. पुरोदेवी पुत्री भैराराम पत्नी लुम्भाराम जाति जाट निवासी हाल कगाउ तहसील बाड़मेर
4. किरताराम पुत्र देवाराम
5. खूमाराम पुत्र भूराराम
6. गुमनाराम पुत्र रतनाराम
7. चूनाराम पुत्र जेहाराम
8. चूनी पत्नी भारूराम
9. चिमनी पत्नी रतनाराम
10. चोलाराम पुत्र भूराराम
11. जगमालराम पुत्र देवाराम
12. जोगाराम पुत्र धर्माराम
13. दुर्गाराम पुत्र देवाराम
14. पुनमाराम पुत्र भूराराम
15. भैराराम पुत्र धर्माराम
16. मगलाराम पुत्र भूराराम
17. रूपाराम पुत्र भूराराम
18. रामाराम पुत्र भारूराम
19. सिरूदेवी पत्नी धर्माराम
20. हुकमाराम पुत्र देवाराम
21. हरदान पुत्र भूराराम
    जाति जाट निवासीस जाणियो की ढाणी, निम्बलकोट तहसील नोखड़ा

.....असल प्रतिवादीगण

22. शाखा प्रबन्धक राजस्था मरूधरा ग्रामीण बैक शाखा होडू तहसील नोखड़ा

Signature Not Verified

Digitally signed by Keshav Kumar Meena
Date: 2026.04.06 19:10:26 IST
Reason: SelfAttested

23. तहसीलदार नोखड़ा

.....तकमीली प्रतिवादीगण

24. तीजो पत्नी भैराराम जाति जाट निवासी जाणियो की ढाणी निम्बलकोट तहसील नोखड़ा
..... असल प्रतिवादीगण

उपस्थित अधिवक्ता
वादीः— श्री रामजीवन विश्नोई
प्रतिवादी 1, 4, 11, 12ः—श्री बींजाराम गोदारा
श्री भंवरलाल सारण
शेष प्रतिवादीगणः—एकतरफा

राजस्व वाद अन्तर्गत धारा—88, 40, 188
राजस्थान काश्तकारी अधि0—1955

—ःपर्चा डिक्रीः—

वादीगण का दावा बाबत् इस्तक्करारहक आंशिक मंजूर किया जाकर डिक्री इस कदर जारी की जाती है कि खसरा संख्या 125/20.0956 है0, 129/4.9268 है0, 132/0.7686 है0, 138/8.1224 है0, 153/0.1052 है0, 157/0.0162 है0, 158/0.2023 है0, 160/0.0324 है0, 161/0.0566 है0, 162/16.8596 है0 मौजा जाणियों की ढाणी पटवार हल्का निम्बलकोट तहसील नोखड़ा में वादीगण प्रत्येक का 1/40—1/40 हिस्से की घोषणा करते हुए वादीगण को खातेदार घोषित किया जाता है।

यह पर्चा—डिक्री पालनार्थ हेतु संबंधित तहसीलदार को प्रेषित की जावें। तहरीर जारी हो। पक्षकारान अपना—अपना खर्चा स्वयं वहन करेंगे।

यह पर्चा—डिक्री आज दिनांक 27.03.2026 को मेरे द्वारा लिखवाई जाकर हस्ताक्षर एवं मुहर युक्त जारी की जाकर खुले न्यायालय में सुनाई गई।

(केशव कुमार मीना आर.ए.एस)
सहायक कलक्टर
गुढामालानी

Signature Not Verified

Digitally signed by Keshav Kumar Meena
Date: 2026.04.06 19:10:26 IST
Reason: SelfAttested